संख्या-308/2021/1340/41-2021-04(सा0)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 09 अप्रैल, 2021**

विषयः- अयोध्या में नयाघाट के निकट पूर्व से बने प्रवेश द्वार के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-7192/6-1-1(589)/2020-21 दिनांक 10 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या में नयाघाट के निकट पूर्व से बने प्रवेश द्वार के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी के रूप में अयोध्या अनन्तकाल से ही विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्ष-पर्यन्त लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। शासनादेश संख्या-706/41-2013-67 यो0/12 दिनाँक 31-03-2013 के माध्यम से अयोध्या में सत्संग भवन, रैन बसेरा, भव्य प्रवेश द्वार एवं यात्री सहायता केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 242.04 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। स्वीकृत आगणन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06 मीटर रखी गई थी, जिसके क्रम में राजकीय निर्माण निगम के द्वारा प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। किन्तु कालान्तर में मार्ग के चौड़ीकरण के कारण उक्त गेट की चौड़ाई कम पड़ गई, जिसके कारण उक्त गेट का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम/रेजीडेन्ट मैजिस्ट्रेट, अयोध्या एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या के द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि सुगम यातायात एवं पैदल यात्रियों के सुरक्षा की दृष्टि से उक्त प्रवेश द्वार को हटाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित है।

3. उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-2244 दिनाँक 04-07-2019 के माध्यम से उक्त प्रवेश द्वार को हटवाये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या के द्वारा अपने पत्र संख्या-1418 दिनाँक 12-10-2020 के माध्यम से उक्त अर्द्धनिर्मित प्रवेश द्वार का मूल्यांकन कुल रू0 19,41,875.00 मात्र संसूचित किया गया है तथा अपने अन्य पत्र संख्या-1059 दिनाँक 04-09-2020 के माध्यम से उक्त प्रवेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वार के ध्वस्तीकरण एवं मलबा को स्थल से हटाने का कुल मूल्यांकित लागत रू0 2,58,854.00 मात्र संसूचित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के तत्सम्बन्धी अभिलेखों को संलग्न करते हुये जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा अपने पत्र संख्या-522 दिनाँक 21-10-2020 के माध्यम से ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

5. जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा अपने पत्र संख्या-869 दिनाँक 19-02-2021 के माध्यम से प्रवेश द्वार के ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबा के रूप में प्राप्त ब्रिक बैट्स (टूटे हुए ईट) का कुल मूल्य वर्तमान शिड्यूल की दर से रू0 52,440.00 मात्र संसूचित किया गया है तथा उक्त के समर्थन में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या के पत्र संख्या-383 दिनाँक 18-02-2021 को उपलब्ध कराया गया है।

6. प्रश्नगत प्रवेश द्वार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या के द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित अपने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-2244 दिनाँक 04-07-2019 के माध्यम से भी व्यापक जनहित में अनुरोध किया गया है।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में नयाघाट के निकट पूर्व से बने प्रवेश द्वार के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) अयोध्या में नयाघाट के निकट अर्द्धनिर्मित प्रवेश द्वार का ध्वस्तीकरण किया जायेगा तथा मलबा आदि हटाया जायेगा।

(ख) उक्त प्रवेश द्वार का पुस्तांकित मूल्य रू0 19,41,875.00 तथा ध्वस्तीकरण एवं मलबा को स्थल से हटाये जाने की लागत रू0 2,58,854.00 में से मलबा के रूप में प्राप्त ब्रिक बैट्स (टूटे हुए ईट) का कुल मूल्य वर्तमान शिड्यूल की दर से रू0 52,440.00 मात्र को घटाते हुये रू0 21,48,289.00 मात्र को राईट-ऑफ करते हुये बट्टे खाते में डाला जायेगा।

(ग) ध्वस्तीकरण की लागत एवं मलबा को स्थल से हटाये जाने की लागत कुल रू0 2,58,854.00 मात्र के व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1, खण्ड-5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन) तथा उ0प्र0 कार्य नियमावली-1975 (यथा-संशोधित) के साथ ही समय-समय पर इस हेतु निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलवा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा। बट्टे खाते में डाले जाने की कार्यवाही वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में जारी वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2017/ए-2-1235-दस-2017-24 (7)/95, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(2) ध्वस्तीकरण एवं मलवा को स्थल से हटाये जाने की लागत कुल रू0 2,58,854.00 मात्र के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सैद्धान्तिक अनापत्ति है। इस सम्बन्ध में सुसंगत लेखाशीर्षक के सुसंगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मद से वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा तत्समय सहमति प्रदान की जायेगी।

(3) ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये लागत/आंकड़ो की जांच महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा, जिसके लिये महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश उत्तरदायी होंगे।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-308/2021/1340(1)/41-2021-04 (सा0)/2020 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
7- जिलाधिकारी, अयोध्या।
8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
9- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11- परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, अयोध्या।
12- रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
13- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।